

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 29.07.2025

गैंग बनाकर गो-तस्करी का अपराध कारित करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैंट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खोराबार द्वारा गैंग लीडर परवेज आलम पुत्र आलिम अली निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर व गैंग के 02 अन्य सदस्य 1. सद्दाम अली पुत्र इरशाद अली निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर, 2. अजय कुमार गौड़ पुत्र योगेन्द्र गौड़ निवासी लक्ष्मीपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर परवेज आलम उपरोक्त स्वयं व अपने गिरोह के सदस्य के साथ आर्थिक, भैतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर पशु तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं पशु तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर 1. गैंग लीडर परवेज आलम व गैंग के अन्य 02 सदस्य 2. सद्दाम अली व 3. अजय कुमार गौड़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 514/2025 धारा 2(ख)(xi), 2(ख)(xvii) / 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 514/2025 धारा 2(ख)(xi),2(ख)(xvii) / 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. गैंग लीडर परवेज आलम पुत्र आलिम अली निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर

- 1.मु.अ.सं. 621/24 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- 2.मु.अ.सं. 719/24 धारा3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0303(2) बी.एन.एस. थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- 3.मु.अ.सं. 732/24 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
- 4.मु.अ.सं. 66/25 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर
- 5.मु.अ.सं. 469/24 धारा 115(2), 191(2), 351(2), 351(3), 352 बी.एन.एस. थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर

2. सद्दाम अली पुत्र इरशाद अली निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर

- 1.मु.अ.सं. 621/24 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- 2.मु.अ.सं. 66/25 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर
- 3.मु.अ.सं. 469/24 धारा 115(2), 191(2), 351(2), 351(3), 352 बी.एन.एस. थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर
- 4.मु.अ.सं. 853/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर

3. अजय कुमार गौड़ पुत्र योगेन्द्र गौड़ निवासी लक्ष्मीपुर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

- 1.मु.अ.सं. 621/24 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- 2.मु.अ.सं. 571/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर